रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230778
CG-DL-E-28102021-230778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
No. 518] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

फा. सं. जे-25/6/2020-सीसीपीए.—केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 104 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 13 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों और वृतिकों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया) नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

   (ख) 'केंद्रीय प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;

   (ग) 'मुख्य आयुक्त' से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) 'महानिदेशक' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया महानिदेशक अभिप्रेत हैं और उस धारा के अधीन नियुक्त किए गए कोई भी अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक शामिल हैं;

(ङ) 'विशेषज्ञ या वृतिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र, जिसके लिए उसे नियुक्त किया जाना है, में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव वाला सत्यनिष्ठ और उत्कृष्ट क्षमता का धारक हो;

(2) इन में उपयोग किए गए ऐसे सभी अन्य शब्द और पद, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया हो।

3. **विशेषज्ञों और वृतिकों को नियुक्ति -** केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृतिकों की संख्या का निर्णय कर सकेगा और तदनुसार, उपभोक्ता अधिकार और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरी, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, लोक मामले, प्रशासन या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित ऐसे अन्य विषय, जो वह ठीक समझे, के क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति करेगा।

4. **ऐसे विशेषज्ञों और वृतिकों के प्रकार्य –** केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ और वृतिक ऐसे प्रकार्यों का निष्पादन करेंगे जो उन्हें केंद्रीय प्राधिकरण की सहायता करने के लिए मुख्य आयुक्त द्वारा सौंपे जाएं।

5. **विशेषज्ञों और वृतिकों की अर्हताएं, अनुभव और वर्गीकरण –**

(1) केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृतिकों को अनुसूची-I में दिए गए विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में उनकी अर्हताएं और अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) संबंधित विषय या क्षेत्र में अनुभव के आधार पर, किसी व्यक्ति को अनुसूची-II में दिए गए दो में से एक स्तर पर किसी विशेषज्ञ या वृतिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

6. **विशेषज्ञों और वृतिकों को देय पारिश्रमिक –** विभिन्न स्तरों के विशेषज्ञों या वृतिकों पारिश्रमिक का भुगतान को अनुसूची-II के अनुसरण में किया जाएगा।

7. **कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन –** प्रत्येक विशेषज्ञ या वृतिक को सौंपे गए कार्य और उनके द्वारा दिए गए आउटपुट के संदर्भ में उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक छह माह में की जाएगी।

8. **विशेषज्ञों और वृतिकों के चयन की प्रक्रिया –** (1) विशेषज्ञों और वृतिकों को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः कम-से-कम छह माह और अधिकतम तीन वर्ष के लिए संविदात्मक आधार नियुक्त किया जाएगा।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक विषय और स्तर के लिए आवेदनों की प्राप्ति की एक नियत अंतिम तारीख का उल्लेख करते हुए, प्रत्येक विषय और स्तर के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए, नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृतिकों की संख्या के साथ अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव और देय पारिश्रमिक के ब्यौरे अपनी बेवसाइट पर प्रकाशित करेगा और ऐसे आवेदनों को उपयुक्त लोक सूचना के माध्यम से भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण, उस क्षेत्र, जिसके लिए चयन किया जाना है, में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले प्रमुख विशेषज्ञों की ऐसी संख्या, जो वह ठीक समझे, को शामिल कर एक चयन बोर्ड का गठन करेगा।

(4) केंद्रीय प्राधिकरण आवेदनों की जांच करेगा और प्रत्येक विषय और स्तर के लिए साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां तैयार करेगा।

(5) प्रत्येक विषय के लिए चयन बोर्ड का संयोजन मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से किया जाएगा और केंद्रीय प्राधिकरण शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व साक्षात्कार की तारीख और स्थान की सूचना देगा।

(6) प्रत्येक विषय और स्तर के लिए नियुक्ति के संबंध में प्रत्येक चयन बोर्ड की अनुशंसाओं को केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) केंद्रीय प्राधिकरण के अनुमोदन पर, प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु कम-से-कम पंद्रह दिन का समय देते हुए, लिखित रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव के जरिए सूचित किया जाएगा।

(8) चयनित अभ्यर्थियों से स्वीकृति प्राप्त होने पर, केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के लिए कम-से-कम तीस दिन का समय देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

परंतु कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की समयावधि में विस्तार किया जा सकेगा यदि केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विस्तार उन परिस्थितियों के लिए अपेक्षित है जो चयनित अभ्यर्थी के नियंत्रण से परे हैं।

9. **विशेषज्ञों और वृतिकों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें –** (1) ऐसे विशेषज्ञ और वृतिक, जिन्होंने नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, को कोई भी कार्य सौंपे जाने से पहले, एक संविदा निष्पादन करनी होगी और ऐसी संविदा में गोपनीयता खंड और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें शामिल होंगे।

(2) यदि केंद्रीय प्राधिकरण के मामले में जो आवश्यक ठीक समझे, किसी विनिर्दिष्ट मामले में, नियुक्ति के निबंधन और शर्तो को उपातदित किया जा सकेगा।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण के लिए उपलब्ध विधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-विनियम (1) के अधीन निष्पादित संविदा के निबंधनों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन उक्त संविदा के अधीन की गई नियुक्ति को समाप्त करने का पर्याप्त आधार माना जाएगा और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे विशेषज्ञ या वृतिक को भावी नियुक्ति से भी विवर्जित किया जा सकेगा।

10. **शिथिल करने की शक्तियां –** केंद्रीय प्राधिकरण, अधिनियम के अधीन अपने प्रकार्यों के निष्पादन में आवश्यक समझे जाने पर, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल, शिथिलीकरण के कारणों को लेखबद्ध करते हुए, कर सकता है।

11. **निर्वचन –** इन विनियमों की निर्वचन में, यदि इसके किसी उपबंध की निर्वचन में कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इसे केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और केंद्रीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची-I

(विनियम 5 देखें)

विषय	अर्हता	अनुभव
विधि	आवश्यक – (i) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त; भारत या विदेश में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एल.एल.बी. या समतुल्य डिग्री (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के निबंधनों में भारत के किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद में एक अधिवक्ता के रूप में रजस्टरीकृत होने के लिए अर्हता प्राप्त की हो वांछनीय – उपभोक्ता विधि या विनियामक विधि के विषय के साथ कोई उच्च अर्हता।	(i) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में या सरकार या नियामक प्राधिकरण में या अधिकरण या अन्य समान फोरम में न्याय संबंधी या विधिक कार्य में अनुभव; या (ii) उपभोक्ता विधि शिक्षण में विशेषज्ञता के साथ भारत या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या वृतिक संस्थान का आचार्य/उपाचार्य/प्राध्यापक, या (iii) उपभोक्ता कानून के तहत उपभोक्ता शिकायत, उत्पाद दायित्व कार्रवाई, श्रेणीगत कार्रवाई, आदि के प्रबंधन का अनुभव रखने वाला कॉर्पोरेट सेक्टर में विधिक प्रबंधक या वरिष्ठ पदधारी
सूचना प्रौद्योगिकी	आवश्यक- भारत सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त, भारत या विदेश के किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी (कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक या संचार या सूचना	'बिग डाटा', डाटाबेस प्रबंधन, डाटा मानसदर्शन आदि के प्रबंधन का कार्य करने वाले संगठन या निगम में वरिष्ठ स्तर के पद पर कार्य किया हो।

	विज्ञान) में स्नाकोत्तर डिग्री। वांछनीय – उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के साथ कोई उच्च अर्हता।	
चिकित्सा	आवश्यक – भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त, भारत या विदेश में विश्वविद्यालय से मास्टर विज्ञान निष्पात या विज्ञान वाचस्पति। वांछनीय – उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के साथ कोई उच्च अर्हता।	भारत या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संव्यावसायिक संस्थान से चिकित्सा के आचार्य या उपाचार्य या प्राध्यापक या चिकित्सा पेशे में प्रतिष्ठित व्यक्ति।
विज्ञान	आवश्यक – भारत या विदेश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अमिश्रित या अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नाकोत्तर डिग्री। वांछनीय – उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के साथ कोई उच्च अर्हता।	(i) सरकारी संगठनों या तकनीकी या वैज्ञानिक मामलों में कार्य करने वाले प्राइवेट सेक्टर के संगठन में वरिष्ठ स्तर के पद पर कार्य किया हो, या (ii) भारत या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या वृतिक संस्थान में विज्ञान के आचार्य या उपाचार्य या प्राध्यापक ।
अर्थशास्त्र	आवश्यक – औद्योगिक अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगठन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अर्थमिति या गणितीय अर्थशास्त्र या परिमाणात्मक अर्थशास्त्र पद्धति या विधि और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता के साथ भारत या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर डिग्री। वांछनीय – (i) निरंतर उच्च अकादमिक कार्य-निष्पादन, (ii) भारत में प्रख्यात विश्वविद्यालय या संस्थान या भारत में सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपभोक्ता नीति क्षेत्र या संबंधित क्षेत्रों में अर्थशास्त्र में डाक्टोरल की डिग्री।	(i) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठनों में या विश्वविद्यालयों में या प्रख्यात शोध संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, परियोजना निर्धारण एवं मूल्यांकन, औद्योगिक संगठन सहित परिमाणात्मक अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग कर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन सहित अर्थशास्त्र नियामक या औद्योगिक अर्थशास्त्र सूक्ष्म आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में कार्य अनुभव। (ii) सूक्ष्म अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगठन या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अर्थमिती या गणितीय अर्थशास्त्र या परिमाणात्मक अर्थशास्त्र पद्धति या संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शोध संस्थान में आचार्य या उपाचार्य या प्राध्यापक ।
कारोबार प्रबंधन	आवश्यक – देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत मान्यताप्राप्त, भारत में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से या विदेशी विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन निष्पात में स्नाकोत्तर डिग्री या स्नाकोत्तर डिप्लोमा। वांछनीय – उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के साथ कोई उच्च अर्हता।	(i) बाजार निगरानी (ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ), विज्ञापन नीतियों, मांग मॉडलिंग, विकास प्रभाव निर्धारण के पर्याप्त ज्ञान के साथ विशेषकर तेजी से वृद्धिशील उपभोक्ता माल क्षेत्र के संगठनों के विपणन और संबद्ध प्रभागों में प्रबंधक पद पर कार्य किया हो; या

		(ii) भारत या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या वृतिक संस्थान में व्यवसाय प्रबंधन में आचार्य या उपाचार्य या प्राध्यापक । वांछनीय: अनुपालन मामलों सहित उपभोक्ता संबंधी मुद्दों के प्रबंधन में अनुभव।

अनुसूची-II

(विनियम 5 और 6 देखें)

विशेषज्ञों और वृतिकों का स्तर	**अधिमान्य अनुभव, वर्षों में**	**एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक**
(1)	**(2)**	**(3)**
स्तर I	तीन वर्षों तक	प्रत्येक वर्ष के समापन पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 50,000/- रूपये
स्तर II	तीन से पांच वर्ष	प्रत्येक वर्ष के समापन पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 70,000/- रुपये

अनुपम मिश्रा, आयुक्त

[विज्ञापन -III/4/असा./319/2021-22]

THE CENTRAL CONSUMER PROTECTION AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

F. No. J-25/6/2020-CCPA.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of section 13 read with clause (a) of sub-section (2) of section 104 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Consumer Protection Authority, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:--

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Consumer Protection Authority (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** (1)In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) “Central Authority” means the Central Consumer Protection Authority established under section 10 of the Act;

(c) “Chief Commissioner” means the Chief Commissioner of the Central Authority appointed under sub – section (2) of section 10 of the Act;

(d) “Director General” means the Director General appointed under sub-section (2) of section 15 of the Consumer Protection Act, 2019 and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors General appointed under that section;

(e) “expert or professional” means a person of integrity and outstanding ability having special knowledge of, and experience in the field for which they are to be engaged;

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Engagement of experts and professionals.—**The Central Authority may decide on the number of experts and professionals to be engaged and accordingly engage such persons in the fields of consumer rights and welfare, consumer policy, law, medicine, food safety, health, engineering, product safety, commerce, economics, public affairs, administration or such other disciplines related to consumer protection, as it may deem fit.

4. **Functions of experts and professionals.–**The experts and professionals engaged by the Central Authority shall discharge such functions as may be assigned to them by the Chief Commissioner for assisting the Central Authority.

5. **Qualifications, experience and classification of experts and professionals,—**(1) The experts and professionals to be engaged by the Central Authority shall be classified on the basis of their qualifications and experience in the respective fields of specialization as given in Schedule I.

(2) Depending upon the experience in respective discipline or field, a person shall be engaged as an expert or professional in one of the two levels given in Schedule II.

6. **Remuneration payable to experts and professionals.–**The experts or professionals of different levels shall be paid a remuneration in accordance with Schedule II.

7. **Evaluation of performance. –**The performance of each expert or professional with reference to the tasks assigned to them and output delivered by them, shall be reviewed every six months by the Central Authority.

8. **Procedure of selection of experts and professionals.–**(1) The experts and professionals shall ordinarily be engaged by the Central Authority on contractual basis for not less than six months and not more than three years.

(2) The Central Authority shall publish the number of experts and professionals to be engaged, with details of qualifications and experience required and the remuneration payable, on its official website, inviting applications for each discipline and level, giving a stipulated last date for the receipt of the applications for each discipline and level, and may also invite such applications by suitable public notice.

(3) The Central Authority shall constitute a selection board consisting of such number of eminent experts, as it deems fit, having special knowledge and experience in the field for which selection is to be made.

(4) The Central Authority shall scrutinize the applications and prepare lists of eligible candidates for each discipline and level to be called for interview.

(5) The selection board shall be convened with the approval of the Chief Commissioner for each discipline and the Central Authority shall notify the date and venue of the interview to the shortlisted eligible candidates sufficiently in advance.

(6) The recommendations of each selection board regarding engagement for each discipline and level shall be placed before the Central Authority for its decision.

(7) On approval by the Central Authority, each candidate shall be informed in writing by an offer letter of engagement giving not less than fifteen days time to accept the offer of engagement.

(8) After receipt of acceptance from the selected candidate, the Central Authority shall issue letter of engagement to each candidate giving not less than thirty days time to join:

Provided that the joining time may be extended by the Central Authority on being satisfied that such extension is sought for circumstances beyond the control of the selected candidate.

9. Terms and condition of engagement of experts and professionals.–(1) The expert and professional who have accepted the offer of engagement, before being assigned any work, shall enter into a contract and such contract shall contain a confidentiality clause and details of the terms and conditions of engagement.

(2) The terms and conditions of engagement may be modified, in a specific case, if the Central Authority deems it necessary.

(3) Without prejudice to the legal remedies available to the Central Authority, any breach of the terms and conditions of the contract executed under sub-regulation (1) shall be considered a sufficient ground for termination of the engagement made under the said contract and may further debar such expert or professional from future engagement by the Central Authority.

10. Power to relax. –The Central Authority may relax any of the provisions of these regulations as may be deemed necessary in the discharge of its functions under the Act after recording the reasons for such relaxations.

11. **Interpretation.–**In the implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises in the interpretation of any provisions thereof, the same shall be placed before the Central Authority and the decision of the Central Authority shall be final.

Schedule I

(See regulation 5)

Discipline	**Qualification**	**Experience**
Law	**Essential–** (i) degree of LL.B or equivalent from a recognized University or Institute in India or abroad, recognized by the Bar Council of India. (ii) qualified to be registered as an advocate in any State Bar Council of India in terms of Advocate's Act, 1961. **Desirable –** Any higher qualification with having with the subject of consumer law or regulatory law.	(i) Experience in judicial or legal work in Supreme Court, High Court or any other court or in Government or Regulatory Authority or in Tribunal or any other similar forum, or (ii) Professor/Reader/Lecturer of Law of any recognized University or professional Institute of India or abroad with specialization in teaching consumer law, or (iii) Legal Manager or senior position in the Corporate sector having experience of handling consumer complaints, product liability actions, class actions, etc. under consumer law.
Information Technology	**Essential–** Postgraduate degree in Engineering (Computer Science or Electronic & Communication or Information Science) from any University or Institute of India or abroad, duly recognized in India.	Worked at senior level positions in organization or corporation dealing with handling of 'Big data', Database management, data visualization, etc.

	Desirable – Any higher qualification with excellent academic record.	
Medical	**Essential–** Master of Science or Doctor of Medicine from a University in India or abroad duly recognized by the Medical Council of India. **Desirable –** Any higher qualification with excellent academic record.	Professor or Reader or Lecturer of Medicine in any recognized University or professional Institute of India or abroad, or a person of eminence in the medical profession.
Science	**Essential–** Postgraduate degree in Pure or Applied sciences from a recognized University of India or abroad. **Desirable –** Any higher qualification with excellent academic record.	(i) Worked at senior level position in Government organizations or organizations in private sector dealing with technical and scientific matters; or (ii) Professor or Reader or Lecturer of sciences in any recognized University or professional Institute of India or abroad.
Economics	**Essential -** Postgraduate degree in Economics from either a recognized University in India or abroad, with specialization in Industrial Economics or Industrial Organization or International Trade or Econometrics or Mathematical Economics or Quantitative Economic methods or Law and Economics. **Desirable –** (i) consistent high academic performance. (ii) doctoral degree, from a reputed University or Institution in India or from a University or Institution duly recognized in India, in Economics in the area of consumer policy or related areas.	(i) Work experience in analysis of microeconomic problems, including International trade, investment, project evaluation and appraisal, industrial organization, Industrial economics or economic regulation including competition assessment, using quantitative economic techniques in Government, public sector, private sector, non-governmental organizations or regulatory authorities or regional or international or multilateral organizations or in universities or reputed research institutions; or (ii) Professor or Reader or Lecturer in any recognised University or research institution in Microeconomics or Industrial Economics or Industrial Organization or International trade or Econometrics or Mathematical Economics or Quantitative Economic methods or related subjects.
Business Management	**Essential –** Postgraduate degree or Postgraduate diploma in Master of Business Management from a recognized University in India or from a	(i) Worked in managerial positions in marketing and allied divisions at organizations especially in Fast Moving Consumer Goods sector, having adequate knowledge of

	foreign University, duly recognized by a competent authority in the country. **Desirable –** Any higher qualification with excellent academic record.	market surveillance (with focus on e–commerce), advertisement policies, demand modeling, development impact assessment; or (ii) Professor or Reader or Lecturer of Business Management in any recognized University or professional Institute of India or abroad. **Desirable:** Experience in handling consumer related issues including compliance matters.

Schedule II

(*See regulation 5 and 6*)

Level of experts and professionals	Preferred experience in years	Lump sum monthly remuneration
(1)	**(2)**	**(3)**
Level I	Upto three years	₹50,000 with 10 per-cents increase on completion of each year.
Level II	Three to five years	₹70,000 with 10 per-cents increase on completion of each year.

ANUPAM MISHRA, Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./319/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.28 12:57:24 +05'30'